

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 36/2019-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2019

सा.का.नि. (अ)-- केन्द्रीय माल एव सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 323 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में "21 अगस्त, 2019" शब्द और अंक के स्थान पर, "21 नवंबर 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फाइल सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.वन. संख्या 323 (अ), 23 अप्रैल, 2019, के तहत अधिसूचना सं. 22/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 21 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 443(अ), तारीख 21 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें पश्चात्पूर्ति संशोधन किया गया था।